पेज 6 का शेष

डॉ भीमराव अम्बेडकर का सदन में अंतिम भाषण

[21:40, 24/11/2024] Vinod Chandra: इसका अर्थ है कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यो को प्राप्त करने का संवैधानिक उपाय नए बच्चा हो, तब असवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। परंतु जहां संवैधानिक उपाय खुले हो, वहां इन असवैधानिक उपायो का कोई औचित्य नहीं है।ये तरीके अराजकता के व्याकरण के सिवाय कुछ भी नहीं है और जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है जॉन स्टुअर्ट मिल कि उस चेतावनी को ध्यान में रखना, जो उन्होंने उन लोगों को दी है, जिन्हे प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी है, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दे कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए₹उन महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में कुछ गलत नहीं है जिन्होंने जीवनपर्यात देश की सेवा की हो। परंतु कृतज्ञता की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डेनियल ओ कॉमेंल ने खूब कहा है। ₹कोई पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपने सतित्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता₹ यह सावधानी किसी अन्य देश के मुकाबले भारत के मामले में अधिक आवश्यक है। क्योंकि भारत में भक्ति या नायक पूजा उसकी राजनीति में जो भूमिका अदा करती है, उस भूमिका के परिणाम के मामले में दुनिया का कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता। धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है।तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है की मात्रा राजनीतिक प्रजातंत्र पर संतोष न करना। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। जब तक उसे सामाजिक प्रजातंत्र का आधार न मिले राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता। सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है ? वह एक ऐसी जीवन-पद्धति है जो स्वतंत्रता,समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है।(प्रभात प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित और रुद्राक्षु मुखर्जी द्वारा संपादित पुस्तक 'भारत के महान भाषण' से लिया गया है)[21:52, 24/11/2024] Vinod Chandra: सिंध पर हुए मोहम्मद बिन कासिम के हमले से राजा दाहिर के सैन्य अधिकारियों ने मोहम्मद बिन कासिम के दलालों से रिश्वत लेकर अपने राजा के पक्ष में लड़ने से इनकार कर दिया था। वह जयचंद ही था जिसने भारत पर हमला करने एवं पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था और उसे अपने व सोलंकी राजाओं को मदद का आश्वासन दिया था, जब शिवजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, तब कोई मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल शहंशाह की ओर से लड़ रहे थे। जब ब्रिटिश सिख शासको को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे तो उनका मुख्य सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठ रहा और उसमें सिख राज्य को बचाने में उनकी सहायता नहीं की। सन 1857 में जब भारत के एक बड़े भाग में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता युद्ध की घोषणा की गई थी तब सिख इन घटनाओं को मुक दर्शकों की तरह खड़े देखते रहे। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा ? यह वह विचार है, जो मुझे चिंता से भर देता है। इस तथ्य का एहसास होने के बाद यह चिंता और भी गहरी हो जाती है की जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहां भिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने मातगृहो से ऊपर रखेंगे या उन्हें देश से ऊपर समझेंगे ? मैं नहीं जानता। परंतु यह तय है कि यदि परिया अपने माता ग्रहों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवतः वह हमेशा के लिए खो जाए।हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचाना है हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। (करतल ध्वनि) 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उसे दिन से भारत में जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी यही विचार मेरे मन में आता है उसके प्रजातांत्रिक संविधान का क्या होगा ? क्या वह उसे बनाए रखेगा या उसे फिर से को देगा ? मेरे मन में आने वाला यह दूसरा विचार है और यह भी पहले विचार जितना ही चिंताजनक है। यह बात नहीं है कि भारत में कभी प्रजातंत्र को जाना ही नहीं। एक समय था जब भारत गणतंत्र से भरा हुआ था और जहां राजसत्ताएं थी वहां भी या तो वह निर्वाचित थी या सीमित। वे कभी भी निरंकुश नहीं थी। यह बात नहीं कि भारत सांसदों या संसदीय क्रियाविधि से परिचित नहीं था। बौद्ध भिक्षु संघ के अध्ययन से यह पता चलता है कि मैं केवल संसदीय क्योंकि संघ सांसद के सिवाय कुछ नहीं थे - थी बल्कि संघ संसदीय प्रक्रिया के उन सब नियमों को जानते और उनका पालन करते थे जो आधुनिक युग में सर्वविदित हैं।सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, कोरम व्हिप, मटन की गिनती, मतपत्रों द्वारा वोटिंग, निंदा प्रस्ताव, नियमितीकरण आदि संबंधी नियम चलन में थे। यद्यपि संसदीय प्रक्रिया संबंधी यह नियम बुद्ध ने सॉन्ग हो की बैठकों पर लागू किए थे, उन्होंने इन नियमों को उनके समय में चल रही राजनीतिक सभाओं से प्राप्त किया होगा। भारत में यह प्रजातांत्रिक प्रणाली खो दी। क्या वह दूसरी बार उसे खोएगा ? मैं नहीं जानता परंतु भारत जैसे देश में यह बहुत संभव है जहां लंबे समय से उसका उपयोग में किए जाने को उसे एक बिल्कुल नई चीज समझा जा सकता है। की तानाशाही प्रजातंत्र का स्थान ले ले । इस नवजात प्रजातंत्र के लिए यह बिल्कुल संभव है कि वह आवरण प्रजातंत्र का बनाए रखें, परंतु वास्तव में वह तानाशाही हो। चुनाव में महाविजय की स्थिति में दूसरी संभावना के यथार्थ बनने का खतरा अधिक है। प्रजातंत्र को केवल ब्रह्म स्वरूप में ही नहीं बल्कि वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए ? मेरी समझ से, हमें पहले काम यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए निष्ठा पूर्वक संवैधानिक उपायो का ही सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ है, हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। इसका अर्थ है कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यो को प्राप्त करने का संवैधानिक उपाय नए बच्चा हो, तब असवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। परंतु जहां संवैधानिक उपाय खुले हो, वहां इन असवैधानिक उपायो का कोई औचित्य नहीं है।ये तरीके अराजकता के व्याकरण के सिवाय कुछ भी नहीं है और जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है जॉन स्टुअर्ट मिल कि उस चेतावनी को ध्यान में रखना, जो उन्होंने उन लोगों को दी है, जिन्हे प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी है, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दे कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए₹उन महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में कुछ गलत नहीं है जिन्होंने जीवनपर्यात देश की सेवा की हो। परंतु कृतज्ञता की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डेनियल ओ कॉमेंल ने खूब कहा है। ₹कोई पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपने सतित्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता₹ यह सावधानी किसी अन्य देश के मुकाबले भारत के मामले में अधिक आवश्यक है। क्योंकि भारत में भक्ति या नायक पूजा उसकी राजनीति में जो भूमिका अदा करती है, उस भूमिका के परिणाम के मामले में दुनिया का कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता। धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है।तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है की मात्रा राजनीतिक प्रजातंत्र पर संतोष न करना। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। जब तक उसे सामाजिक प्रजातंत्र का आधार न मिले राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता। सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है ? वह एक ऐसी जीवन-पद्धति है जो स्वतंत्रता,समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है।(प्रभात प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित और रुद्राक्षु मुखर्जी द्वारा संपादित पुस्तक 'भारत के महान भाषण' से लिया गया है)

संभल हिंसा मामले में दो थानों में 7 मुकदमे दर्ज हुए

संभल हिंसा मामले में दो थानों में 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर भी FIR की गई है. इसके साथ ही स्थानीय सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे नवाब सुहैल इकबाल को भी आरोपी बनाया गया है. इन पर दंगाई को भड़काने का आरोप लगा है.संभल हिंसा मामले में 7 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 5 FIR कोतवाली में और 2 FIR नखासा थाने में दर्ज हुई हैं

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि :शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है । यह अनुच्छेद संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था और 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। अनुच्छेद के प्रावधानों में शामिल हैं:निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा : किसी भी बच्चे को स्कूल जाने के लिए फीस या शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

भेदभाव का निषेध : किसी भी बच्चे के साथ जाति, वर्ग, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। स

मान अवसर : सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए।

वित्तीय बाधाओं को दूर करना : शिक्षा में वित्तीय बाधाएं दूर की जानी चाहिए।

पर्याप्त बुनियादी ढांचा : राज्य को पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और योग्य शिक्षक उपलब्ध कराने चाहिए। न

िःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, २००९ वह कानून है जो अनुच्छेद २१ए को लागू करने के लिए बनाया गया था।

अनुच्छेद 51 के लिए कई मिलान हैं

अनुच्छेद 51 के लिए कई मिलान हैं, जिनमें भारत के संविधान का एक अनुच्छेद और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का एक अनुच्छेद शामिल है : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 : यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग IV का हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के महत्व पर जोर देता है, तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करता है। यह भारत को आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति जैसे पारस्परिक हित के मामलों पर अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 : यह लेख संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का हिस्सा है।

अमेरिका, चीन जैसे देशों ने दिया धोखा

COP29 में जलवायु निधि पर असहमति उभरी. विकासशील देशों के लिए $300 अरब वार्षिक फाइनेंस के लक्ष्य को भारत ने ₹दृष्टि भ्रम₹ बताते हुए खारिज कर दिया और कम से कम $1 ट्रिलियन की मांग की. भारत ने विकसित देशों पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया.

नई दिल्ली. जब बात जलवायु परिवर्तन से निपटने की हो, तो यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं होता, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल होता है. परंतु अमेरिका और चीन जैसे विकसित देश, विकासशील देशों की बात सुनते तक नहीं. यह कहने में गुरेज नहीं कि वे 'मनमानी' करते हैं. अब जबकि पूरी दुनिया के सामने कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या मुंह खोले खड़ी है, तब भी उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. चीन, अमेरिका जैसे विकसित देश किस तरह भारत जैसे विकासशील देशों की सांसें रोकने की कोशिश में जुटे हैं, यह उसी की एक बानगी भर है.

हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित COP 29 सम्मेलन में 300 अरब डॉलर वार्षिक क्लाइमेट फाइनेंस (Climate Finance) का लक्ष्य तय किया गया, जिससे विकासशील देशों को मदद मिल सके. लेकिन यह समझौते पर भी विवादों के बादल छा गए. भारत ने इसे एक "दृष्टि भ्रम" (Optical Illusion) बताते हुए कहा कि इससे असली जलवायु समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता. दरअसल, विकासशील देशों ने इसके लिए कम से कम एक ट्रिलियन डॉलर (1000 अरब डॉलर) की मांग की थी. चलिए समझते हैं इस समझौते की गहराई और भारत समेत विकासशील देशों की चिंताएं.

क्या है COP 29 में तय समझौता?

संयुक्त राष्ट्र के अंतिम आधिकारिक मसौदे के अनुसार, COP 29 का मुख्य उद्देश्य जलवायु से जुड़ी पिछली फाइनेंस योजना को तीन गुना बढ़ाना था. पहले हर साल 100 अरब डॉलर (8.25 लाख करोड़) की योजना थी, जिसे अब 300 अरब डॉलर (24.75 लाख करोड़ रुपये) किया गया है.

समझौते के मुताबिक, साल 2035 तक यह प्रयास किया जाएगा कि सार्वजनिक और निजी स्रोतों से विकासशील देशों को कुल 1.5 ट्रिलियन डॉलर (123.75 लाख करोड़ रुपये) तक की वित्तीय सहायता मिले. इसके अलावा, 1.3 ट्रिलियन डॉलर (1,07,25,000 करोड़ रुपये) विशेष रूप से अनुदानों और सार्वजनिक निधियों के रूप में कमजोर देशों के लिए सुनिश्चित किए जाएंगे.

भारत ने क्यों उठाए विरोध के स्वर?

भारत ने इस समझौते को नकारते हुए इसे "दृष्टि भ्रम" करार दिया. भारतीय प्रतिनिधि चांदनी रैना ने कहा, "यह दस्तावेज़ असल चुनौती का समाधान करने में असमर्थ है. यह केवल एक दिखावटी समझौता है, जो असली समस्याओं को हल नहीं कर सकता." भारत ने विकसित देशों पर उनकी जिम्मेदारियों को पूरा न करने का आरोप लगाया. भारतीय पक्ष ने तर्क दिया कि यह समझौता विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को अनदेखा करता है.संयुक्त राष्ट्र और विशेषज्ञों की राय

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस समझौते को "उम्मीदों से कम" बताते हुए कहा, "यह समझौता एक आधार है, लेकिन इसे समय पर और पूरी तरह लागू करना जरूरी है." उन्होंने कहा, "हमारे सामने खड़ी विशाल चुनौतियों का सामना करने के लिए मुझे इससे कहीं अधिक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद थी."

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन मामलों के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कॉप29 में हुए नए वित्त समझौते को, "मानवता के लिए एक बीमा पॉलिसी" क़रार दिया है. साइमन स्टील ने कहा, "इस समझौते से क्लीन एनर्जी के विकास को बढ़ावा मिलेगा और अरबों जिंदगियां बचेंगी. मगर किसी भी अन्य बीमा पॉलिसी की तरह, यह तभी काम करेगी, जब इसके लिए किस्तें समय पर और पूरी तरह अदा की जाएंगी." उन्होंने माना कि किसी भी देश को वो नहीं मिला, जो उन्होंने चाहा था, और दुनिया पहाड़ जैसा काम लेकर बाकू से वापस लौट रही है. उन्होंने कह भी जोड़ा, "इसलिए, यह कोई जीत की खुशई में तालियां बजाने का समय नहीं है. हमें बेलेन के रास्ते पर अपनी नजर के साथ-साथ तमाम प्रयास करने होंगे." बता दें कि 2025 का COP 30 सम्मेलन ब्राज़ील के पूर्वी अमेज़न इलाके बेलेन में होगा.

भारत ने कहा- अत्यंत खेद..

भारतीय प्रतिनिधि चांदनी रैना ने इस समझौते पर नाखुशी जताई और कहा कि इसमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए विकसित देशों की अनिच्छा झलकती है. रैना ने कहा, "मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद है कि यह दस्तावेज दृष्टि भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है."इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला के हवाले से लिखा गया कि "300 अरब डॉलर का लक्ष्य एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह धन कहां से आएगा. विकसित देशों से वित्त जुटाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है." IPCC के लेखक दीपक दासगुप्ता ने इसे "पेंडोरा बॉक्स की आखिरी उम्मीद" बताते हुए कहा कि अगर यह फंड अनुदान के रूप में मिलता है, और कर्ज के बजाय सार्वजनिक धन पर केंद्रित रहता है, तो यह बड़ा बदलाव ला सकता है.

खुद को समझ रहे थे बड़का होशियार,

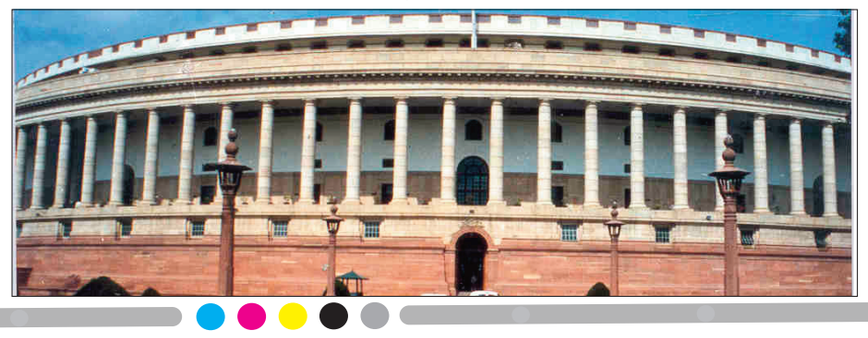

पुरानी कहावत है अपराधी कितना ही शातिर हो, पर कोई न कोई ऐसा सुराग छोड़ ही जाता है, जो कानून के हाथ गुनहगार की गर्दन तक पहुंचा देते हैं. कुछ ऐसा ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट पर देखने को मिला है. खुद को बड़का होशियार समझ रहे कुछ शातिर लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसीज को चकमा देने के लिए प्लान तैयार किया था. इस बार, उनको इस बात का पूरा भरोसा था कि कोई कुछ भी कर ले, उनकी चाल को नहीं पकड़ सकेगा.

लेकिन, आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ठीक इसके उल्टा हुआ. ऐन वक्त पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) के हाथ एक ऐसा सुराग लग गया, जिसको हाथ लगाते ही लाखों रुपए का राज फड़फड़ाकर बाहर आ खड़ा हुआ. यहां आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सुराग कुछ और नहीं, बल्कि एक नीला रंग की साधारण सी इमेज थी. दरअसल, कस्टम की एआईयू को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था रियाद से भारी तादाद में सोने की तस्करी होने वाली है और इस बार स्मगलर्स ने मॉरस ऑपरेंडी बेहद यूनिक है.रियाद से आए पैसेंजर पर टिकी निगाह, और फिर

सीनियर ऑफिसर के अनुसार, कस्टम ने भी इस टॉस्क को एक चैलेंज की तरह लिया. इसके बाद, रियाद से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर अपनी निगरानी बढ़ा दी गई. निगरानी की कवायद को कुछ इस तरह आगे बढ़ाया गया कि पैसेंजर्स को तकलीफ भी न हो और स्मगलर उनके जाल से निकल कर बाहर भी न जा सके. एक लंबी कवायद के बाद एआईयू की निगाह एक पैसेंजर पर जाकर टिक गई. संदेह के आधार पर इस पैसेंजर के बैग को एक्स-रे में डाला गया. बैग के भीतर कस्टम के स्क्रीनर्स को कुछ नजर नहीं आया.टांय-टांय फिस्स हो गया बड़के होशियारों का खेल

इसी बीच, कस्टम के एक स्क्रीनर की निगाह बैग के बीडिंग की तरफ गई. एक्स-रे में इस बीडिंग का रंग नीला नजर आ रहा है. बस फिर क्या था, कस्टम को वह मिल गया था, जिसकी तलाश वह लंबे समय से कर रहे थे. कस्टम ने बैग को की बीडिंग को काट कर ब्लैक रबर कोटेड तार बाहर निकाला गया. इसके बाद, जैसे ही ब्लैक रबर को पकड़कर जैसे खींचा गया, सिल्वर कोटेड वायर फड़फड़ाकर बाहर आ गया. जांच में पता चला कि सिल्वर कोटेड यह वायर 701 ग्राम सोने से तैयार किया था. कुछ इस तरह तस्करों का बड़की होशियारी कस्टम ऑफिसर के सामने टांय-टांय फिस्स हो गई.

गलती से महिला ने फेंकी 'खजाने' की चाबी

एक महिला ने खुलासा किया है कि कैसे उसने गलती से अपने प्रेमी की 6024 करोड़ रुपए की बिटकॉइन जैसे खजाने की 'चाबी' फेंक दी. अब उसका प्रेमी उस खजाने की तलाश में एक विशाल लैंडफिल में खोज करने के हक के लिए लड़ रहा है.

दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जो किस्मत के धनी होते हैं. ऐसे लोग किसी भी चीज पर हाथ रख दें तो वो खजाना बन जाता है. लेकिन इससे उलट कई ऐसे लोग भी होते हैं, जो बदकिस्मती के शिकार होते हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम जेम्स हॉवेल्स है. यूनाइटेड किंगडम के वेल्स के न्यूपोर्ट सिटी के रहने वाले जेम्स आज 6 हजार 24 करोड़ रुपए के मालिक होते, अगर उनकी गर्लफ्रेंड ने गलती से बिटकॉइन के 'खजाने' की चाबी को फेंक नहीं दिया होता. जेम्स की गर्लफ्रेंड हाफिना एडी-इवांस ने खुद इस बात का खुलासा किया है. डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक, हाफिना ने खुलासा किया है कि कैसे उसने गलती से अपने प्रेमी की 569 मिलियन पाउंड (लगभग 6024 करोड़ रुपए) की बिटकॉइन संपत्ति की 'चाबी' फेंक दी. अब हाफिना का प्रेमी जेम्स उस खजाने को ढूंढने के लिए एक विशाल लैंडफिल में खोज करने के हक के लिए लड़ रहा है.

हाफिना के प्रेमी हॉवेल्स का दावा है कि उन्होंने 2009 में खुद ही बिटकॉइन खरीदा था और फिर इसके बारे में भूल गए. लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके द्वारा खरीदे गए 8,000 बिटकॉइन की कीमत अब लगभग 569m (6024 करोड़ रुपए) है, तो वे न्यूपोर्ट काउंसिल द्वारा संचालित लैंडफिल की तलाशी के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. वहीं, हाफिना ने बताया कि उसने 9 से 10 साल पहले हार्ड ड्राइव को जेम्स के कहने पर कूड़े में फेंक दिया था. जेम्स ने खुद मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि उसमें कम्प्यूटर के कुछ खराब पार्ट्स थे. जेम्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया तब मैंने सोचा कि उसे अपना काम करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया. उस हार्ड ड्राइव में ही बिटकॉइन का पासकोड था, जिसे फेंकने के लिए जेम्स ने दिया था. ऐसे में उस बिटकॉइन पासवर्ड की चाबी को खोना मेरी गलती नहीं थी. हाफिना ने कहा कि उसे लगता है कि मैंने जान-बूझकर ऐसा किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुझे उसके पैसों की भी कोई लालच नहीं है.हाफिना ने आगे कहा कि अगर उसे वो चाबी मिल जाती है, तो मुझे इस बात की खुशी होगी. यह कई साल पहले की बात है, शायद नौ-दस साल पहले, जब मैंने उसके कहने पर इसे गलती से फेंक दिया था. लेकिन मुझे आशा है कि वह इसे पा लेगा. वहीं, 39 साल के जेम्स हॉवेल्स किसी भी तरह से उस पासकोड को हासिल करना चाहते हैं, जो उनके कम्प्यूटर में बंद है. वे बिटकॉइन जैकपॉट की 'चाबी' का पता लगाने के लिए वेल्स में न्यूपोर्ट काउंसिल को अदालत में ले जाने की तैयारी भी कर रहे हैं. जेम्स ने कहा है कि अगर उन्हें वो चाबी मिल जाती है, तो खजाने का 10 प्रतिशत हिस्सा अपने स्थानीय क्षेत्र को देंगे, जो न्यूपोर्ट को 'यूके का दुबई या लास वेगास' जैसा बनाने के लिए पर्याप्त है. डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक, जब जेम्स ने बिटकॉइन को खरीदा था, तब उन्हें उसके मूल्य का एहसास नहीं था. उस दौरान बिटकॉइन में पैसे लगाना उनकी गर्लफ्रेंड हफीना को भी पसंद नहीं था. ऐसे में उन्होंने 8 हजार कॉइन के बाद इसे खरीदना बंद कर दिया.

आखिर कैसे कबाड़ से कचड़े तक पहुंची 'चाबी'?

बिटकॉइन की वो चाबी (पासकोड) आखिर कबाड़ से कचरे में कैसे पहुंच गई? यह सवाल जेहन में जरूर आता है. ऐसे में बता दें कि एक दफा जेम्स लैपटॉप खोलकर घर पर सो रहे थे, तभी पास में रखा नींबू पानी गिर गया. लैपटॉप पूरी तरह खराब हो गया. ऐसे में जेम्स ने लैपटॉप के हार्ड ड्राइव को निकाल कर रख लिया और उसमें मौजूद सभी फोटो और म्यूजिक को एप्पल कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया. एकमात्र चीज जो वह कॉपी नहीं कर पाए, वह थी बिटकॉइन का पासकोड वाली छोटी सी फाइल, जो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल नहीं थी. हालांकि, काफी दिनों तक घर में पड़े-पड़े वो हार्ड ड्राइव कबाड़ रूम में चली गई और अगले तीन वर्षों तक इसके बारे में भूल गए. इस दौरान हाफिना और जेम्स के दो बच्चे हुए, तो वे पारिवारिक जिंदगी में व्यस्त रहने लगे. सालों बाद जेम्स ने उसे कचरा समझकर फेंकने को दे दिया.